पेंशन क्षेत्र में वित्तीय योजना सेवाओं की भूमिका
मुम्बई, 1 फरवरी, 2008

प्रस्तावना

सभी को सुप्रभात । मैं वार्षिक वित्तीय योजना अभिसमय और दीक्षान्त समारोह के अवसर की इस बेला में बेहद प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ । मैं उन सभी को बधाई देना चाहुंगा जो सीएफपी कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करके आज शानदार प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे और अधिप्रमाणित वित्तीय योजना निर्माता के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन शुरू करने के लिए संभलकर खड़े होंगे । यह कार्य का दिलचस्प और जिज्ञासापूर्ण क्षेत्र है और इस अर्थ में "संतुष्टि देने वाला " पेशा भी है कि व्यक्तिगत वित्त साधनों के संबंध में लोगों को सलाह देने के सामाजिक उद्देश्य में सहायक होंगे ।

2. मैं आप के साथ नई पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में घटनाक्रमों और उस महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करूंगा जो युवा और उदीयमान वित्तीय योजना निर्माता सरकार की इस प्रमुख सुधार पहल को सफलतापूर्वक अमूल्य निविष्टियां प्रदान करने में भूमिका निभाएंगे । सबसे पहले मैं आपके साथ संक्षेप में उस भूमिका पर चर्चा करूंगा जिसके अंतर्गत एनपीएस लागू की गई है और फिर आपको अब तक एनपीएस के क्रियान्वयन की यात्रा के विभिन्न चरणों की जानकारी दूंगा ।

पृष्ठभूमि

3. जैसाकि आप सब जानते हैं, भारत में पेंशन सुधारों की जरूरत जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों, मौजूदा वृद्धावस्था सुरक्षा कार्यक्रमों के कम विस्तार और सरकार की राजकोषीय बाधाओं से उभरी है ।

4. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत शायद विश्व में सबसे युवा देश है जहां औसत आयु सिर्फ 26 वर्ष है । भारत में आश्रितता अनुपात भी विश्व में सबसे कम औसतों में से एक है । इस जनसांख्यिकीय स्थिति से उत्पन्न नीतिगत आवश्यकता यह है कि अब देश में पेंशन सुधार लागू करने और एक ठोस एवं संपोषणीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का समय आ गया है । मैं यह भी कहूंगा कि भारत बहुत तेज रफ्तार से बूढ़ा हो रहा है और 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों की संख्या जो आज 80 मिलियन है, अगले 18 से 20 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी । इसलिए पेंशन सुधारों के कार्यान्वयन में हुई कोई भी देरी सुधार-प्रक्रिया पर बहुत बुरा असर डालेगी और उन लाभों को बेकार कर देगी जो आज हमें प्राप्त हैं ।

5. वृद्धावस्था पेंशन सुधार प्रणाली के मौजूदा कवरेज का जहां तक प्रश्न है, कुल श्रमिक बल का केवल लगभग 12-13 प्रतिशत ही किसी संगठित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत शामिल है । शेष 87 प्रतिशत को सेवा-निवृत्ति के बाद अपने भरण-पोषण के लिए सम्पदा संचय की कोई औपचारिक योजना की सुविधा प्राप्त नहीं है । एनपीएस मुख्यतया श्रमिक बल के इसी 87 प्रतिशत के लिए है ।

6. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का पेंशन बजट लगभग 65,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है । यह 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की भयानक दर पर बढ़ रहा है। बहुत जल्द ही सरकार के वित्त साधनों पर यह बोझ अवहनीय हो जाएगा । यही कारण था जिसने केन्द्र सरकार को इस देनदारी को सीमित करने और नए कर्मचारियों के लिए सुस्पष्ट अंशदायी प्रणाली लागू करने पर मजबूर किया । इसी प्रकार की कार्रवाई उन्नीस उन्य राज्य सरकारों ने अब तक कर ली है ।

एनपीएस संरचना

7. नीतिगत मानदंडों की संकल्पना, विचार-विमर्श और परिचर्चा तथा व्यापक व्यावहारिक अध्ययन के पश्चात सरल एनपीएस संरचना तैयार करने में लगभग 10 वर्ष लग गए । यद्यपि हमने अन्य देशों के अनुभव भी देखे हैं, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) और एनपीएस न्यास, अभिरक्षक और अन्य भागीदार सहित बहुविध पेंशन निधि प्रबंधकों सहित जो एनपीएस संरचना हमने तैयार कीं है, वह अनन्य है । हमने अन्य देशों सहित चिली, पेरू, मेक्सिको, युनाइटेड किंगडम, यूएसए और आस्ट्रेलिया की विद्यमान प्रणालियों का अध्ययन किया परन्तु एक ऐसी प्रणाली तैयार की है जो भारतीय परिस्थितियों और जरूरतों को पूरा करेगी । हमने उन गलतियों से सबक लेने का प्रयास किया है जो कुछ देशों ने की हैं और ऐसी संरचना बनाने का प्रयास किया है जो सरल, कम खर्चीली और सतुंलित हो ।

8. एनपीएस की सबसे मुख्य विशेषताओं में मौजूदा सभी पेंशन योजनाओं जिनमें ईपीएफओ की योजना भी शामिल है, के विपरीत एनपीएस नौकरियों और स्थानों में फेरबदल होने पर भी बाधारहित वहनीयता (पोर्टेबिलिटी) उपलब्ध कराती है । दूसरे शब्दों में, इसमें व्यक्तिशः भागीदारों के लिए झंझट मुक्त व्यवस्था प्रदान की जाएगी । यह पूर्णतः सुस्पष्ट अंशदायी योजना है जिसमें सुस्पष्ट लाभ का कोई घटक नहीं है, प्राप्त आय पूरी तरह बाजार-संबंधित है । एनपीएस व्यक्तियों को एक निवेश विकल्प से हटकर दूसरे विकल्प की ओर जाने या एक निधि प्रबंधक से हटकर दूसरे निधि प्रबंधक को अपनाने के विभिन्न निवेश विकल्प और चयन के अवसर देगी जो जाहिर है कतिपय विनियामक प्रतिबंधों के अध्यधीन होगा । तथापि, इस समय केवल दो निवेश विकल्प होंगे -- संपूर्ण अंशदान का केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश या गैर-सरकारी भविष्य निधियों पर प्रयोज्य निवेश संबंधी दिशानिर्देश अपनाना। मौजूदा सरकारी दिशानिर्देश यह प्रावधान करते हैं कि 15% तक इक्विटी में तथा शेष 85% नियत आय संबंधी लिखतों में निवेश किया जा सकता है । संसद द्वारा पीएफआरडीए विधेयक पारित कर दिए जाने के बाद, विनियामक निवेश के अधिक विकल्प मुहैया कराएगा जिससे पेंशन संपदा के 50% तक का इक्विटी में निवेश किया जाएगा । आरंभिक वर्षों में निवेशों को इन्डेक्स निधियों और ईटीएफ के जरिए सीमित करने का प्रस्ताव है । संयुक्त राज्य अमरीका में, पेंशन निधियों की इक्विटी धारिता 70% जितनी अधिक है । पेरू और चिली में भी पेंशन-धन का अधिकांश कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है और सरकारी ऋण-प्रतिभूतियों में कम संकेन्द्रण किया जाता है । संभव है इस स्तर तक पहुंचने में भारत को कुछ समय लगेगा लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे । सापेक्षतया कम लागत एनपीएस की एक और विशेषता होगी ।

9. पीएफआरडीए ने एनपीएस के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए पेंशन निधि प्रायोजकों के रूप में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी (यूटीआई-एएमसी) और जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को नियोजित किया है । उन्होंने अपनी पेंशन निधियों को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पहले ही निगमित कर लिया है और उनके जल्द ही काम शुरू कर लेने की संभावना है । प्रतिस्पर्धी बोली की इस प्रक्रिया के जरिए हमने 3 से 5 आधार-बिन्दु के निवेश प्रबंधन शुल्क और 10 आधार बिन्दु तक की लेन-देन लागत का अन्वेषण किया है । एक बार कारोबार की मात्रा जाए, ये लागतें कम ही होती जाएंगी । कम लागतें पेंशन सम्पदा में वृद्धि करेंगी तथा और अधिक ग्राहकों को लाएंगी ।

वित्तीय योजना-निर्माताओं की भूमिका

10. इस क्षेत्र का विकास करने में हमारे समक्ष अनेक चुनौतियां हैं - अभिदाताओं को उनके जोखिम और प्रतिफल की स्थिति के आधार पर निवेश संबंधी सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना, सुरक्षा और उच्च प्रतिफल प्रदान करना, यथासंभव अधिकाधिक लोगों को इस प्रणाली में शामिल करना और वित्तीय साक्षरता के स्तरों में सुधार लाना । पेंशन सुधार के क्षेत्र के सभी हितधारकों को संभावित भागीदारों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लाभों और फायदों के बारे में जानकारी देने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे । यहीं पर वित्तीय योजना निर्माताओं की भूमिका अहम और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ।

11. एनपीएस संरचना इस तरह तैयार की गई है कि अभिदाताओं का पेंशन निधि प्रबंधकों के साथ कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होगा । इसलिए निधि प्रबंधकों और निवेश शैलियों के संबंध में विकल्प का चयन अभिदाताओं द्वारा किया जाना होगा । इस देश में वित्तीय शिक्षा का स्तर देखते हुए, यह जिम्मदारी आप जैसे विशेषज्ञों के कंधों पर आ जाएगी । यह उम्मीद की जाती है कि वित्तीय योजना-निर्माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी क्योंकि वे अभिदाताओं को यह सेवा मुहैया करा सकते है । पीएफआरडीए विधेयक में एनपीएस संरचना में सेवा-निवृत्ति सलाहकारों की भूमिका की भी परिकल्पना की गई है । सेवा-निवृत्ति सलाहकार अभिदाताओं को अपनी सेवा-निवृत्ति आय, जो पर्याप्त हो, के लिए योजना बनाने में मदद देंगे और उनके उद्देश्यों को पूरा करने वाले निवेश के सही विकल्प तय करने में सहायता करेंगे। यह एक ऐसा कार्य है जो अधिप्रमाणित वित्तीय योजना निर्माताओं द्वारा सफलतापूर्वक किया सकता है।

12. वित्तीय योजना-निर्माताओं की दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका पेंशन निधि प्रबंधकों के संदर्भ में उनकी भूमिका हो सकती है। मुझे विश्वास है कि अधिप्रमाणित वित्तीय योजना-निर्माताओं को निधियों के प्रबंधन की अच्छी समझ होगी जिसकी पेंशन क्षेत्र में उम्मीद की जाती है - दीर्घकालिक निवेश विस्तार और अधिकतम प्रतिफल तथा कम जोखिम । यहां के पेंशन निधि प्रबंधकों को परामर्शी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं ताकि उनका निष्पादन अभिदाताओं की जरूरतों के अनुरूप हो ।

13. वित्तीय योजना-निर्माताओं को परिकल्पित सेवाएं मुहैया कराने में समर्थ बनाने के लिए, वित्तीय योजना मानक बोर्ड पीएफआरडीए के विधिवत अनुमोदन के बाद प्रमाणन कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है । इन पाठ्यक्रमों की विस्तृत पाठ्य-चर्चा पर पीएफआरडीए के साथ चर्चा की जा सकती है और अभिदाताओं एवं पेंशन निधि प्रबंधकों को परामर्शी सेवाएं मुहैया करा सकने वाले वित्तीय योजना-निर्माताओं के संबंध में अपेक्षित कौशल का स्तर तय किया जा सकता है ।

निष्कर्ष

14. मैं अपनी बात यह कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि हालांकि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस संरचना द्वारा 1 जून, 2008 से कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है, असली चुनौती इस प्रणाली को निर्बाध तरीके से चलाने में निहित होगी । इस संबंध में, सुरक्षा और उच्च प्रतिफल प्राप्त करने, प्रणाली के तहत यथासंभव अधिकाधिक लोगों को शामिल करने और वित्तीय साक्षरता के स्तरों में सुधार लाने के मुद्दे बहुत महत्व रखते हैं । वित्तीय योजना-निर्माताओं समेत पेंशन सुधारों से जुड़े सभी हितधारकों को एनपीएस के फायदों के बारे में संभावित भागीदारों को जानकारी एवं सलाह देने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे । यहां उपस्थित सभी लोगों को इस संबंधी में जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें एनपीएस अभिदाताओं के बीच वित्तीय साक्षरता और जागरूकता का एक स्तर बनाना होगा जिससे आगे चलकर प्रत्येक अभिदाता अपने हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ाने के लिए निवेश संबंधी सुविज्ञ निर्णय ले सके ।

15. सरकारी कर्मचारी जो आज एनपीएस के एकमात्र भागीदार हैं, वे इस प्रणाली से पूरे लाभ हासिल कर पाएंगे जब यह प्रणाली असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिक विस्तृत लक्षित समूह के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी । जब प्रणाली सभी नागरिकों को उपलब्ध करा दी जाती है तभी बचत एवं किफायत के स्तर पर इसकी पूरी संभाव्यता मूर्त रूप लेती है और अभिदाता और भी कम शुल्कों एवं प्रभारों तथा उच्च प्रतिफल के रूप में काफी लाभान्वित होंगे ।

16. पीएफआरडीए पर एक कार्यदक्ष और आधुनिक पेंशन क्षेत्र विकसित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है । हम इस अधिदेश को बहुत गंभीरता से ले रहे है । मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैं अक्सर दूसरे मंचों पर भी कहता हूँ कि जब तक पेंशन क्षेत्र विकसित नहीं होगा, पीएफआरडीए के पास कुछ विनियमित करने के लिए नहीं होगा । इस प्रयास में मैं आपकी सक्रिय भागीदारी का अनुरोध करता हूँ ताकि देश में सेवा-निवृत्ति बचतों की एक सुदृढ़, मजबूत और कार्यदक्ष प्रणाली हो ।

17. मैं एफपीएसबी को एक बार फिर धन्यवाद देता हॅू कि उन्होंने मुझे इस विशेष अवसर पर बुलाया और आप सबसे बात करने का मौका दिया । आपके इस आदर्श व्यवसाय के लिए मेरी शुभकामना और खास कर उनके लिए जो आज सीएफपी के प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे ।

****